

कंपनी अधिनियम, 2013 : दंड प्रावधानों की समीक्षा के लिये 10 सदस्यीय समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दंड प्रावधानों की समीक्षा करने और कुछ मामलों के गैर-अपराधीकरण की जाँच करने के लिये 10 सदस्यीय समिति गठित की है।

प्रमुख बिंदु

- कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनवास की अध्यक्षता वाली यह समिति 30 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी ताकि इसकी अनुशंसाओं पर विचार किया जा सके।
- कंपनी मामले मंत्रालय का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उन अपराधों की समीक्षा करना है जहाँ डफिॉल्ट की स्थिति में आर्थिक दंड लगाए जाते हैं।
- यह न्यायालयों को गंभीर प्रकृति के अपराधों पर अधिक ध्यान देने में भी सक्षम बनाएगा।
- इसके अलावा, समिति इस बात पर भी ध्यान देगी कि क्या किसी समाधान नषिद्ध अपराध (non-compoundable offences) – ऐसे अपराध जो अधिनियम के तहत दंड के रूप में केवल कारावास या कारावास व अर्थदंड दोनों की श्रेणी में आते हों, को क्षमायोग्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
- समिति एक आंतरिक तंत्र स्थापित करना चाहती है जहाँ MCA 21 प्रणाली द्वारा संचालित तरीके से जुरमाना लगाया जा सकता है ताकि विचारशीलता को कम किया जा सके।
- MCA 21 कंपनी के अधिनियम के तहत हतिधारकों के लिये वैधानिक फाइलिंग जमा करने हेतु एक पोर्टल है।

सचिव की अध्यक्षता में समिति की संरचना

अध्यक्ष

- इंजेती श्रीनवास, कंपनी मामले मंत्रालय के सचिव

सदस्य

- लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं बीएलआरसी के अध्यक्ष (सदस्य)
- उदय कोटक, एमडी, कोटक महेंद्रा बैंक (सदस्य)
- शारदुल एस शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, शारदुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी (सदस्य)
- अजय बहल, संस्थापक मैनेजिंग पार्टनर, एजेडबी (AZB) एंड पार्टनर्स (सदस्य)
- अमरजीत चोपड़ा, सीनियर पार्टनर, जीएसए एसोसिएट (सदस्य)
- अरघ्य सेनगुप्ता, वधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (सदस्य)
- सद्दितार्थ बड़िला, पूर्व अध्यक्ष, फकिंकी (सदस्य)
- सुश्री प्रीता भलहोत्रा, पार्टनर एवं स्मार्ट ग्रुप की कार्यकारी निदेशिका (सदस्य)
- संयुक्त सचिव (पॉलिसी), कंपनी मामले मंत्रालय (सदस्य-सचिव)